23.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादीगण की ओर से प्रार्थना प्रस्तुत कर नोटप्रेस के आधार पर वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का यह वादपत्र नोटप्रेस

— लगातार

के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वसूली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया बजाज)
RAS.